मध्य प्रदेश में बेतवा नदी में प्रदूषण

3973. **श्री राघवजीः** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बेतवा नदी में वर्ष 1996 के जुलाई माह में बड़ी संख्या में मछलियां मरी पाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या जांच से यह पता चला है कि नदी का जल प्रदूषित था;

(घ) यदि हां तो क्या नदी को प्रदूषित करने वाले लोगों को दंडित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) से (ङ) इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि दिनांक 16 जुलाई, 96 की शाम 6 बजे जिलाध्यक्ष विदिशा से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय को दूरभाष पर यह सूचना मिली कि बेतवा नदी में मछली मरने की घटना हुई है। सूचना प्राप्त होते ही मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक दल द्वारा सेहतगंज से विदिशा तक के विभिन्न स्थानों से बेतवा नदी के तथा जोगीखार नाले के ऊपरी और निचली जलधारा व स्रोत आसवनी के लैगून के जल के नमूने एकत्रित किये गये व विश्लेषण कार्य किया गया। दिनांक 17 जुलाई प्रातः से 18 जुलाई शाम तक बेतवा नदी के जल की गुणवत्ता का आकलन किया गया। इसी दौरान कलेक्टर, विदिशा द्वारा विदिशा नगर का जल प्रदाय दो दिन के लिए रोक दिया गया जो 18.7.96 को जल की गुणवत्ता जांच उपरांत 19.7.96 से प्रारंभ किया गया। कलेक्टर, रायसेन द्वारा सोम डिस्टलरी का उत्पादन बंद करा दिया गया था जिसे बाद में दिनांक 21.7.96 से पुनः उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी गई।

बेतवा नदी नानपेरेनियल नदी है, जिसमें वर्ष भर जल का प्रवाह नहीं रहता है, नदी में जगह-जगह पर पानी का भराव रहता है। वर्षाकाल के प्रारंभ में नदी में मिलने वाले विभिन्न नालों के किनारे जमा ठोस अपशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र मंडीद्वीप का रन ऑफ कृषि भूमि में उपयोग किये गये फर्टिलाइजर एवं पेस्टीसाइड का रन ऑफ सोम आसवानी द्वारा वृक्षारोपण एवं भूमि पर उपयोग किया गया अनुपचारित निस्राव का बहाव तथा नदी के किनारे बने ग्रामों के जल-मल आदि प्रथम वर्षा के साथ प्रवाहित होने के कारण प्रदूषण भार में वृद्धि होती है, जिससे नदी के जल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है व जल में घुलित आक्सीजन की मात्रा में कमी होती है एवं उसका प्रभाव सर्वप्रथम मछलियों पर पड़ता है। दिनांक 16 जुलाई को विदिशा के निकट हुई घटना उपरोक्त कारणों से है। मछलियां मरने की घटना विदिशा तथा उसके ऊपरी जल धारा के क्षेत्र में परिलक्षित हुई है। सोम आसवानी से अनुपचारित दूषित दल सीधे निस्सारित किया जाना नहीं पाया गया अपितु एनारोबिक ट्रीटमेंट एवं एरियेशन के उपरांत भूमि पर उपयोग होने के कारण इसका अपचयित भाग वर्षा के जल के साथ मिलकर समीपी नाले में प्रवाहित हुआ है, जिसमें काफी मात्रा में तनुकरण भी हो जाता है।

बेतवा नदी के प्रदूषण के कारणों की जांच हेतु एक विशेषज्ञ समिति को बोर्ड द्वारा निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह प्रतीत होता है कि बेतवा नदी में हुई घटना ऊपर दर्शाये कई कारणों से घटी है। सोम डिस्टलरी द्वारा कोई एक्यूलेंट नाले में सीधे प्रवाहित नहीं किया गया है। इसी कारण कलेक्टर, रायसेन द्वारा डिस्टीलरी को पुनः उत्पादन करने की अनुमति दी गई।

कलेक्टर, विदिशा से प्राप्त जानकारी अनुसार बेतवा नदी का पानी पीने से पशु मरने या अपंग होने की कोई सूचना/शिकायत प्राप्त नहीं हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायसेन एवं विदिशा से प्राप्त जानकारी अनुसार सूचना में उल्लेखित समयावधि में बेतवा के प्रदूषित जल के उपयोग से बीमार होने संबंधि कोई मरीज चिकित्सा/भरती हेतु आने की सूचना नहीं है।

उद्योग में औद्योगिक निस्श्राव के उपचार की प्रारंभिक व्यवस्था हेतु एनरोबिक डायजेस्टर तथा एरियेशन की व्यवस्था है। उद्योग की द्वितीय एवं तृतीय चरण की व्यवस्था किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा नोटिस दिया गया है। वर्तमान में स्थापित उपचार व्यवस्था से 80-90% उपचार होता है। मछली मरने की घटना के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा विशेषज्ञ समिति को विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। समिति द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। क्षेत्र में जन जीवन प्रभावित होने जैसी स्थिति नहीं है।